Reader - I

न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 02/2020
GCMS Case Reg. 2020/00010

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)। –प्रार्थी

बनाम

श्री सुनिल पिता ओम प्रकाश अग्रवाल, कॉमर्शियल एरिया, बांसवाड़ा।

–प्रत्यर्थी

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस

उपस्थित – 1. श्री भूपेंन्द्र जैन राजकीय अधिवक्ता
2. श्री हीरालाल जैन अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 18–09–2019

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, बांसवाड़ा द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस का प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 तहसील बांसवाड़ा के राजस्व ग्राम बांसवाड़ा के खसरा संख्या 1394 रकबा 18.11 किस्म भूमि गैर मुमकीन नदी सिवायचक श्रीसरकार अंकित है। उक्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खसरा नं. 2503/ 1394 रकबा 0.17 बिघा भूमि किस्म का.क अप्रार्थी के नाम दर्ज किया रेकार्ड है। उक्त आराजी की भूमि मुताबिक सेटलमेंट गैर मुमकीन नदी श्रीसरकार दर्ज थी। जो राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज नदी/नाला/झील/तलाब/नाली/तलाई/जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में

DM Refrence decision 2019

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.10.08 16:24:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त आराजी नंबर के खातेदारी अधिकारी व उक्त भूमि से उद्भूत समस्त अधिकार काबिल निरस्ती योग्य है।

सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 वाके ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नंबर 1394 रकबा 18.11 बिघा भूमि किस्म नदी श्रीसरकार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2033–36 में आराजी नंबर 2503/1394 रकबा 4.17 बिघा श्री गोविन्दजी पिता अमरजी कुम्हार निवासी बॉसवाडा के नाम दर्ज हुई। नामान्तरकरण संख्या 625 दिनांक 12.08.83 से जरिये रजिस्टर्ड वसीयत से उक्त आराजी नाथी पत्नि लालु व लालु पिता हरजी कुम्हार के नाम दर्ज हुई। उक्त आराजी के रकबा 4.17 बिघा मे से 4.00 बिघा भूमि जरिये विक्रय नामान्तरकरण सं.1265 दिनांक 31.10.94 से श्री समीर खॉ पिता आगा खॉ के नाम दर्ज हुआ। शेष 0.17 बिघा बदस्तुर रही। उसके उपरान्त श्री लालु की मृत्यु से विरासत में उक्त आराजी नाथी पत्नि लालु, कालु, गटु, धुलजी पिता लालु कुम्हार के नाम दर्ज हुआ। जरिये विक्रय नामान्तरकरण संख्या 3511 दिनांक 05.08.2011 से अप्रार्थी श्री सुनिल पिता ओमप्रकाश अग्रवाल के नाम दर्ज हुआ जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भी यथावत है।

सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 में आराजी नंबर 1394 रकबा 18.11 बिघा किस्म नदी दर्ज थी। जमाबंदी संवत् 2033–36 में आराजी नंबर 2503/1394 रकबा 4.17 बिघा किस्म नदी के स्थान पर का.क. दर्ज हुआ। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से बाधित भूमि जो आरम्भ से ही शून्य है तथा इस प्रकार की भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी सिविल जनहित याचिका संख्या 1530/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी यही व्यवस्था दी है कि राजस्व रेकार्ड में दिनांक 15.08.1947 में दर्ज गैर मुमकिन नाला/नाली/नदी है। जो कि आवंटन/नियमन से बाधित भूमि है। अतः वर्जित किस्म की भूमि होने के कारण रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर उक्त ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नं 2503/1394 रकबा 0.17 बिघा खातेदार श्री सुनिल अग्रवाल पिता ओमप्रकाश अग्रवाल

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

DM Refrence decision 2019

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.10.08 16:24:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निवासी कोमर्शियल एरिया बॉसवाडा के निजी खातेदारी/अधिकार को वापस निरस्त की जाकर सरकारी दर्ज किए जाने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से श्री हीरालाल जैन अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं जवाब प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमि संवत् 2033–36 में गोविन्द कुम्हार के नाम खातेदारी दर्ज थी। करीब 43–44 वर्ष की अवधि के बाद यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय राजस्थान द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तो और कानून के अनुसार किसी एलोटमेंट/नियमन को निरस्त करने की कार्यवाही 25 वर्ष के अयुक्तियुक्त विलम्ब के बाद जो रेफरेंस का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह गैर कानूनन है। दिनांक 15.08.47 को आलोच्च भूमि की किस्म क्या थी यह भी तहसीलदार द्वारा नही बतलाया गया है। प्रश्नगत आराजी का जुज भाग वर्तमान में संवत् 2070–73 ग्राम बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा की आराजी नंबर 2503/1394 रकबा 0.17 बिघा का.क अप्रार्थी के नाम जमाबन्दी में दर्ज है और उक्त भूमि शूरु से आज तक काश्त के काम उपयोग उपभोग में चली आ रही है। उक्त भूमि की किस्म नदी के किनारे होने से नदी बताया जा रहा है। लेकिन वास्तव में उक्त भूमि नदी का हिस्सा नही है। प्रकरण में वर्णित मुकदमा याचिका सं.1536/03 अब्दुल रहमान बनाम श्रीसरकार में माननीय उच्च न्यायालय के तथ्य व सिद्वान्त इस पर लागु नही होते है। उक्त भूमि नदी की नही है और वर्षो से उक्त भूमि खातेदारो के नाम खातेदारी में दर्ज थी। तहसीलदार बॉसवाडा ने प्रार्थना पत्र में यह नही बताया है कि उक्त भूमि किस प्राधिकारी के आदेश से आवंटन/नियमन किया गया है जिसके अभाव में किसी निर्णय, आदेश को निरस्त किये बिना और प्रकरण में हुए नामान्तरकरणो को निरस्त किये बिना उक्त भूमि श्रीसरकार दर्ज कर निजी खातेदारी अधिकार समाप्त करने हेतु रेफरेंस नही किया जा सकता है। अतः तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम निरस्त करने निवेदन किया।

दिनांक 11.09.2020 को उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

DM Refrence decision 2019

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.10.08 16:24:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत भूमि संवत् 2033–36 में गोविन्द कुम्हार के नाम खातेदारी दर्ज थी। करीब 43–44 वर्ष की अवधि के बाद यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय राजस्थान द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तो और कानून के अनुसार किसी एलोटमेंट/नियमन को निरस्त करने की कार्यवाही 25 वर्ष के अयुक्तियुक्त विलम्ब के बाद जो रेफरेंस का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह गैर कानूनन है। वर्तमान में संवत् 2070–73 ग्राम बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा की आराजी नंबर 2503/1394 रकबा 0.17 बिघा का.क अप्रार्थी के नाम जमाबन्दी में दर्ज है और उक्त भूमि शूरु से आज तक काश्त के काम उपयोग उपभोग में चली आ रही है। उक्त भूमि की किस्म नदी के किनारे होने से नदी बताया जा रहा है। लेकिन वास्तव में उक्त भूमि नदी का हिस्सा नही है। उक्त भूमि किस प्राधिकारी के आदेश से आवंटन/ नियमन किया गया है जिसके अभाव में किसी निर्णय, आदेश को निरस्त किये बिना और प्रकरण में हुए नामान्तरकरणो को निरस्त किये बिना उक्त भूमि श्रीसरकार दर्ज कर निजी खातेदारी अधिकार समाप्त करने हेतु रेफरेंस नही किया जा सकता है। अतः तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम निरस्त करने निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 तहसील बांसवाड़ा के राजस्व ग्राम बांसवाड़ा के खसरा संख्या 1394 रकबा 18.11 किस्म भूमि ''नदी'' सिवायचक श्रीसरकार अंकित है। उक्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खसरा नं. 2503/1394 रकबा 0.17 भूमि खातेदार श्री सुनिल अग्रवाल पिता ओम प्रकाश अग्रवाल निवासी बॉसवाडा के नाम दर्ज किया रेकार्ड है। उक्त आराजी की भूमि मुताबिक सेटलमेंट गैर मुमकीन नाला/नदी/नाली दर्ज थी। जो राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज नदी/नाला/झील/तलाब/नाली/तलाई/जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्‌भूत नही होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

DM Reference decision 2019

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.10.08 16:24:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

में उक्त आराजी नंबर के खातेदारी अधिकारी व उक्त भूमि से उद्‌भूत समस्त अधिकार काबिल निरस्ती योग्य है। अतः प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस किया जावे

आदेश

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया एवं उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 में आराजी नं. 1394 रकबा 18.11 बिघा भूमि गैर मुमकिन नदी सिवायचक दर्ज थी। तत्पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2033–36 में आराजी नंबर 2503/1394 रकबा 4.17 बिघा श्री गोविन्दजी पिता अमरजी कुम्हार बॉसवाडा के नाम दर्ज हुई। जिसके पश्चात् नामांतरकरण संख्या 625 दिनांक 12.08.1983 से जरिये रजिस्टर्ड वसीयत से उक्त आराजी नाथी पत्नि लालु व लालु पिता हरजी कुम्हार के नाम दर्ज हुई। उसके उपरान्त श्री लालु की मृत्यु से विरासत में उक्त आराजी नाथी पत्नि लालु, कालु, गटु, धुलजी पिता लालु कुम्हार का नाम दर्ज हुआ। जरिये विक्रय नामान्तरकरण संख्या 3511 दिनांक 05.08.2011 से अप्रार्थी श्री सुनिल पिता ओमप्रकाश अग्रवाल के नाम आराजी नं 2503/1394 रकबा 0.17 बिघा भूमि दर्ज हुई। सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 में आराजी नंबर 1394 किस्म नदी दर्ज थी तथा जमाबन्दी संवत् 2033–36 में आराजी नंबर 2503/1394 किस्म नदी के स्थान पर का.क दर्ज हुआ। जो बिना किसी आधार के विधि विरुद्ध दर्ज किया गया है। सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 अनुसार भूमि की मूल किस्म नदी है, जो कि आवंटन/नियमन से बाधित भूमि है। जिस कारण ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नं 2503/1394 रकबा 0.17 बिघा खातेदार श्री सुनिल अग्रवाल पिता ओमप्रकाश अग्रवाल निवासी कोमर्शियल एरिया बॉसवाडा के निजी खातेदारी/अधिकार को वापस गैर मुमकिन नदी दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।

अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र तहसीलदार बॉसवाडा स्वीकार किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जाता है। अप्रार्थी अधिवक्ता को पाबन्द किया जाता है कि इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो स्वयं/अप्रार्थी

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (seal)

DM Reference decision 2019

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.10.08 16:24:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दिनांक 23.11.2020 को अपना प्रत्युत्तर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.10.08 16:24:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner